न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)
कक्ष संख्या–1, कन्नौज।
CNR No–UPKJ01-001614-2024
सत्र परीक्षण वाद संख्या–481/2024
राज्य प्रति सुनीता
मुकदमा अपराध संख्या–1229/2021
धारा–138(1)(b)विद्युत अधिनियम 2003
थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

दिनांक–13.03.2026

वाद पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उपस्थित अभियुक्ता व उसके विद्वान अधिवक्ता। अभियुक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि दिनांक 10.03.2026 को वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सकी थी, जिसके कारण उसके विरुद्ध एन.बी.डब्लू. जारी हो गया था। प्रार्थिनी उक्त मामले को लोक अदालत में समाप्त कराना चाहती है। अतः प्रार्थिनी के विरुद्ध निर्गत एन.बी.डब्लू. को अपास्त करते हुये मामले को लोक अदालत में नियत करने की कृपा की जाए।

प्रार्थनापत्र पर अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा अनापत्ति की गई। प्रार्थना पत्र पत्र पर सुना तथा अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थनापत्र में अभिकथित आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं। अतः अभियुक्ता के विरुद्ध निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र मु० 25000/– रुपये का बंधपत्र दाखिल करने पर नियत किया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(वि०अधि०)
कक्ष सं०–1, कन्नौज।

अभियुक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–152 विद्युत अधिनियम प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह भी याचना की गई कि वाद उपरोक्त में दिनांक 24.03.2026 नियत है। मामले को लोक अदालत में समाप्त कराना चाहता है। अतः तारीख पेशी दिनांक 24.03.2026 को रिकाल करते हुये मामले को लोक अदालत में नियत करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के साथ विद्युत बिल भुगतान रसीद दाखिल की गई है।

विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा अनापत्ति की गई। अतः तारीख पेशी दिनांक 24.03.2026 को अपास्त करते हुये तारीख पेशी आज दिनांक नियत की जाती है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए.डी.जी.सी. को सुना। पत्रावली वास्ते राष्ट्रीय लोक अदालत **दिनांक 14.03.2026** को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(वि०अधि०)
कक्ष सं०–1, कन्नौज।

दिनांक–14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–152 विद्युत अधिनियम पर आदेशार्थ पेश हुई। उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए.डी.जी.सी. को सुना जा चुका है।

अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा **प्रार्थनापत्र दिनांकित 13.03.2026** को प्रस्तुत करते हुए वाद का निस्तारण किए जाने की याचना की गयी है। आधार व्यक्त किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। उसने विद्युत विभाग का बकाया समस्त रूपया जमा कर दिया है। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित बकाया शेष नहीं रहा।

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज की रिपोर्ट **दिनांकित 13.03.2026** पत्रावली में संलग्न है। विशेष लोक अभियोजक यू०पी०पी०सी०एल० के द्वारा अपनी आख्या को अनुमोदित किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **सुनीता पत्नी सतीश चन्द्र** नामित अभियुक्त है, जिसके द्वारा विद्युत विभाग की समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **सुनीता पत्नी सतीश चन्द्र** को अन्तर्गत धारा–138(1)(b)विद्युत अधिनियम 2003 में विचारण हेतु आहूत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की गयी है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में बकाया

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.14 14:06:26 IST
Reason: Application dis. in lok adalat
Location: ADJ/SPL Judge (electricity) court no.1, kanauj

विद्युत बिल के कारण विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को पुनः अवैध रूप से जोड़कर विद्युत चोरी करते पाया गया।

उक्त अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त के द्वारा विद्युत विभाग से सम्बन्धित समस्त बकाया बिल का भुगतान किया जा चुका है तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा मुकदमा समाप्त करने के संदर्भ में कोई आपत्ति न होने का कथन भी अपनी आख्या दिनांकित 13.03.2026 में किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रांक दिनांकित 13.03.2026 पत्रावली में संलग्न है जिसकी पुष्टि विद्वान विशेष लोक अभियोजक यू०पी०पी०सी०एल० के द्वारा की गयी है।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **आपराधिक अपील सं० 156SLP (Cr.)संख्या 3670/2017 सुरेश गणपति हलवणकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओ० आर० एस०** में अभिव्यक्त किया गया अभिमत महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि "धारा 152 विद्युत अधिनियम के प्रावधान धारा 135 विद्युत अधिनियम के अधीन कारित किए गए अपराधों के संदर्भ में भी प्रभावी होंगे, क्योंकि उक्त अपराध भी विद्युत की चोरी से सम्बन्धित है, जो विद्युत मीटर को क्षति पहुंचाकर कारित किया जाता है। इस कारण धारा 135 विद्युत अधिनियम के अधीन कारित किए गए अपराध भी शमनीय प्रकृति के हैं।"

उक्त अभियोग धारा 152 विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों तथा उपर्युक्त विधि व्यवस्था में अभिकथित अभिमत के अनुसार उक्त प्रकृति के अपराध शमनीय प्रकृति के होते हैं।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त आख्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 की उपधारा (3) के तहत अपराध को प्रशमित मानते हुए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण वाद संख्या–481/2024 सुनीता प्रति राज्य मुकदमा अपराध संख्या–1229/2021 अपराध अन्तर्गत धारा–138(1)(b)विद्युत अधिनियम 2003, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त **सुनीता** को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 की उप–धारा (3) के तहत कारित अपराध को प्रशमित मानते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत नामे एवं बंधपत्र निरस्त करते हुये प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(वि०अधि०)
कक्ष सं०–1, कन्नौज।
J.O.Code UP6489